## न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 704/17

संस्थित दिनाँक-19.12.17

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—मालनपुर जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

## विरूद्ध

- 1. रफीक उर्फ रफीद पुत्र नसीब खां उम्र 41 साल
- 2. हबीव पुत्र नसीब खां उम्र 35 साल
- असरफ अली पुत्र शरीफ खॉन उम्र 27 साल निवासीगण समतानगर मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

......अभियुक्तगण

## <u>—:: निर्णय ::—</u> {आज दिनांक 17.01.18 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324 एवं 324/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दि० 04.11.17 को दोपहर 7 बजे मेवाती के थान के पास समतानगर मालनपुर पर अपने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी सद्दाम को उपहित कारित करने के आशय से अभियुक्त शफीक द्वारा फरियादी सद्दाम को घातक आयुध फरसे से मारपीट कर स्वेच्छा उपहित कारित की।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि आहतगण का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 323, 294, 506 बी के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324, 324/34 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 04.11.17 को सुबह करीब 7 बजे फरियादी एवं अभियुक्त अडौस पडौस में रहते हैं। एक व्यक्ति अपनी भैंस को फरियादी सद्दाम के यहां लाया था तो रफीक बोला कि उसके यहां ले चलो। इसी बात पर फरियादी से अभियुक्तगण का झगडा हो गया। अभियुक्तगण मां बहन की गालियां देने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो शरीफ ने उसे फरसा मारा जो सिर में लगा। हबीव ने लाठी मारी। इतने में बहन आसमा बचाने आयी तो उसे असरफ ने लाठी से पेट में चोट पहुंचाई। उक्त आशय की सूचना से देहाती नालिसी लेख की गयी। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अप0क0 179/17

पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।
- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं
  - 1. क्या दि0 04.11.17 को दोपहर 7:00 बजे आहत सद्दाम को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हॉ, तो उनकी प्रकृति क्या थी ?

2.क्या आरोपीगण ने दि0 04.11.17 को दोपहर 7 बजे मेवाती के थान के पास समतानगर मालनपुर पर अपने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी सद्दाम को उपहित कारित करने के आशय से अभियुक्त शफीक द्वारा फरियादी सद्दाम को घातक आयुध फरसे से मारपीट कर स्वेच्छा उपहित कारित की ?

## -:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में सद्दाम अ०सा० 01, आसमां अ०सा० 02 को परिक्षित कराया गया है। तथ्यों व साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। फरियादी सद्दाम अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि दो माह पहले सुबह सात बजे की बात है उसका अभियुक्तगण से भैंसों की बात को लेकर विवाद हो गया जिस पर से अभियुक्तगण ने उसकी एवं उसकी बहन आसमां की लातघूंसों से मारपीट कर दी थी जिसकी उसने रिपोर्ट गोहद अस्पताल में की थी। प्र०पी० 1 की देहाती नालिसी रिपोर्ट बताकर उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करता है। घटना के संबंध में नक्शामौका प्र०पी० 2 बनाए जाने और उस पर भी अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करता है। आसमां अ०सा० 2 भी अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी के समान ही कथन करते हुए अभियुक्तगण द्वारा भैंसों के विवाद पर से उसकी एवं भाई सद्दाम की मारपीट लातघूंसों से कर देने के संबंध में कथन करती हैं। अपने अभिसाक्ष्य में दोनों आहतगण ने किसी अभियुक्त द्वारा किसी धारदार अथवा नुकीले हथियार से उपहित्त कारित किए जाने के संबंध में कथन नहीं किया है।
- 7. प्रकरण में अभियोजन की ओर से आहतगण को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिनमें आहतगण द्वारा इस तथ्य से इंकार किया कि अभियुक्त रफीक ने फरियादी सद्दाम को फरसा मारकर उपहित कारित की। सद्दाम अ०सा० 1 रिपोर्ट प्र०पी० 1 के बी से बी भाग तथा पुलिस कथन प्र०पी० 3 के ए से ए भाग में फरसा से रफीक द्वारा उहपित कारित किए जाने के संबंध में तथ्य लेख

कराए जाने से इंकार किया है। आसमां अ०सा० 2 भी अपने पुलिस कथन प्र०पी० 4 में ए से ए भाग पर रफीक द्वारा फरियादी सद्दाम को फरसा मारकर उपहृति कारित किए जाने के संबंध में तथ्य लेख कराए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार करती हैं। प्रकरण में अभियुक्तगण या उनमें से किसी से कोई फरसा जैसी धारदार वस्तु जब्त नहीं की गयी है। स्वयं आहतगण द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन न किए जाने से अभियोजन का मामला अधिरोपित आरोप के संबंध में संदिग्ध हो जाता है। आहतगण के अखण्डनीय कथनों से मात्र संहिता की धारा 323 का अपराध गठित होता है जो कि राजीनामा हो जाने से दण्डनीय नहीं रह जाता है। प्रकरण में इस प्रकार से अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोप के संबंध में कोई भी सारवान साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। जहां तक देहाती नालिसी प्र०पी० 1 तथा पुलिस कथन प्र०पी० 3 व 4 का प्रश्न हैं तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, मात्र कथनकर्ता के पूर्वतन कथन के रूप में विरोधाभास व लोप को अभिलेख पर प्रस्तुत करने हेतु प्रयुक्त किए जा सकते हैं।

- 8. अतः अभियुक्तगणों के विरूद्ध संहिता की धारा 324, 324/34 का आरोप प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। उक्त आरोप के अधीन आरोपीगण को दोषमुक्त किया जाता है। शेष आरोपों के संबंध में राजीनामे के प्रभाव से उक्त आरोपों के अधीन अभियुक्तगणों की दोषमुक्ति की जा चुकी है।
- **09.** अभियुक्तगण की जमानत भारमुक्त की जाती है। उनके निवेदन पर मुचलके निर्णय से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।
- 10. अभियुक्तगण की यदि कोई निरोध अविध हो तो इस संबंध में दप्रस की धारा 428 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 11. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश